

हमारा प्रयास है आपका आवास

परिषद की कानपुर जोन के अन्तर्गत

नवनिर्मित/नवविकसित/निरस्तीकरण से रिक्त आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों का

आवंटन/नीलामी



स्थल: कार्यालय संयुक्त आवास आयुक्त (कानपुर जोन) आफिस काम्पलेक्स (भू-तल) केशवपुरम कल्यानपुर, कानपुर

आवासीय फ्लैट्स का विवरण (आवंटन द्वारा)					
फ्लैट्स का प्रकार	सुपर एरिया (वर्ग फीट)	स्व वित्त पोषित फ्लैटों की संख्या	प्रस्तावित अनुमानित विक्रय मूल्य (रु. लाख में)	अनुमानित पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)	शेष भुगतान 10 व्रैमासिक किस्तों में (रु. लाख में)

अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3, से.-ई (पार्ट) कानपुर में ब्रम्हावर्त अपार्टमेंट (जी-3) एफ-82 प्रकार के स्व वित्त पोषित फ्लैट्स (31 नग)

मध्यम आय वर्ग					
Type F-82 (2 BHK) भूतल (01 नग)	885.00	T-6/101 (SC)	42.50	4.25	382500.00
Type F-82 (2 BHK) द्वितीय तल (11 नग)	885.00	T-2/301 (Gen.), T-2/304 (Gen.), T-3/301 (Gen.), T-3/302 (SC), T-3/304 (Gen.), T-5/302 (Gen.), T-6/301 (Gen.), T-6/304 (SC), T-7/301 (OBC), T-7/304 (SC), T-8/303 (Gen.)	33.65	4.25	294000.00
Type F-82 (2 BHK) तृतीय तल (19 नग)	885.00	T-1/401 (Gen.), T-1/402 (OBC), T-1/404 (SC), T-2/401 (Gen.), T-2/402 (Gen.), T-2/403 (OBC), T-2/404 (Gen.), T-3/402 (SC), T-3/404 (Gen.), T-4/401 (Gen.), T-4/404 (OBC), T-5/402 (Gen.), T-6/401 (OBC), T-6/402 (Gen.), T-6/403 (SC), T-7/401 (ST), T-7/402 (Gen.), T-7/403 (OBC), T-8/403 (OBC)	33.25	4.25	290000.00

व्यवसायिक श्रेणियों की सम्पत्तियों का विवरण (नीलामी द्वारा)					
सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आरक्षित दर / अनुमानित मूल्य प्रोहीडल सहित (रु. लाख में)	एफ़ो एफ़ आरओ	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	विक्रयक केचर्ड (मीटर में)

केशवपुरम योजना संख्या-1 कानपुर					
प्रिमियम भूखण्ड (01 नग)					
I/PR-7	561.00	26880.00	1.50	55%	12.50

कन्वेनियन्ट शॉप भूखण्ड (01 नग)					
MSC-2 © Reserved	98.10	39424.00	1.50	60%	15.00

हंसपुरम योजना संख्या-2 कानपुर					
व्यवसायिक भूखण्ड (01 नग)					
I/B-2/3	1093.95	22400.00	-	-	-

सामुदायिक भूखण्ड (02 नग) लीज पर					
Sector 5G ©	834.75	12100.00	1.50	35%	10.00
Sector 5H ©	1627.50	12100.00	1.50	35%	10.00

ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (01 नग)					
7GH-02	8745.07	16914.00	1.50	40%	-

लोहियापुरम योजना, फतेहगढ़ (फर्स्टाबाद)					
व्यवसायिक भूखण्ड (02 नग)					
4/C-44 (GEN)	310.80	17920.00	1.20	40%	9.60
4/C-83 (GEN)	310.80	17920.00	1.20	40%	9.60

योजना संख्या-1 छिवरामऊ (कन्नौज)					
संस्थागत भूखण्ड (01 नग)					
INS-4/101	1287.33	8686.00	1.50	35%	15.00

नोट:- अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3, सेक्टर-ई (पार्ट) कानपुर में ब्रम्हावर्त अपार्टमेंट (जी-3) एफ-82 प्रकार के स्व वित्त पोषित फ्लैट्स के पंजीकरण व आवंटन हेतु प्रबन्ध कार्यालय योजना संख्या-1/3 कल्यानपुर कानपुर में रु. 500.00 का भुगतान कर पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त कर एवं पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट सहित आवेदन पत्र आवंटन तिथि से 02 दिन पूर्व उक्त सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में जमा करना होगा। आरक्षित वर्ग के फ्लैट्स हेतु जाति प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करार कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

परिषद की विभिन्न योजनाओं के बकायेदारों हेतु एकमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.) की सुविधा मार्च, 2016 तक उपलब्ध है।

विशेष सूचना : परिषद के आवंटित/ग्राहकों की शिकायतों/समस्याओं के निस्तारण हेतु उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रत्येक माह के तृतीय बृहस्पतिवार का "परिषद दिवस" का आयोजन जोनल कार्यालय एवं परिषद के लखनऊ स्थित, मुख्यालय कार्यालय पर प्रातः 10.00 से 12.30 बजे तक किया जाता है। अवकाश की दशा में परिषद दिवस का आयोजन अगले कार्य दिवस में होगा।

शैक्षिक भूखण्डों का विवरण (नीलामी द्वारा)				
सेक्टर/भूखण्ड सं.	क्षेत्रफल (व.मी. में)	वर्तमान भूमि दस-लीजरेन्ट+ कार्नर शुल्क (कार्नर की स्थिति में प्रभावशील)	भूखण्ड मूल्य दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी दर के अनुसार (रुपये में)	बैंक ड्राफ्ट द्वारा बयाना धनराशि (रुपये में)

केशवपुरम योजना संख्या-1 कानपुर				
शैक्षिक भूखण्ड (03 नग) (लीज पर)				
जी/एफ़ोसीएफ़ो-02	3151.86	19360.00	61020010.00	6102001.00
पीएस सेक्टर-आई	1507.50	19360.00	29185200.00	2918520.00
पीएस सेक्टर-एन	1870.50	19360.00	3621880.00	3621288.00

अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3 कानपुर				
शैक्षिक भूखण्ड (08 नग) (लीज पर)				
भूखण्ड सं.-ए	860.00	15730.00	15100800.00	1510080.00
भूखण्ड सं.-सी	2448.00	15730.00	38507040.00	3850704.00
1/पीएफ़ो	3040.92	15730.00	47833680.00	4783368.00
से-7/एनएस-8	1097.60	15730.00	17268394.00	1726840.00
से-8/पीएस-1	894.00	15730.00	14062620.00	1406262.00
से-8/एनएस-1	1104.50	15730.00	17373785.00	1737379.00
से-8/एनएस-2	928.76	15730.00	14609395.00	1460940.00
9/पीएस-3	150.75	15730.00	23716910.00	2371691.00

हंसपुरम योजना संख्या-2, कानपुर				
शैक्षिक भूखण्ड (05 नग) (लीज पर)				
से-ए एनएस/पीएस	1390.50	12100.00	16825050.00	1682505.00
से-बी एनएस/पीएस	1365.00	12100.00	16516500.00	1651650.00
से-बी एनएस/पीएस	935.45	12100.00	11318945.00	1131895.00
से-डी, एनएस	6960.00	12100.00	84216000.00	8421600.00
से-डी, एनएस	1402.50	12100.00	16970250.00	1694025.00

लोहिया योजना, फतेहपुर				
शैक्षिक भूखण्ड (01 नग) (लीज पर)				
बी. पीएस	973.76	9680.00	9425997.00	942600.00

गणेश बिहार योजना, फतेहपुर				
शैक्षिक भूखण्ड (01 नग) (लीज पर)				
से-1, एनएस	708.00	4961.00	3512388.00	351240.00

- शैक्षिक भूखण्डों हेतु नीलामी की तिथि को संस्था का पंजीकरण न्यूनतम तीन वर्ष पुराना होना एवं संस्था की विगत तीन वर्षों की बैलेन्सशीट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से सत्यापित होना अनिवार्य है।
- उ.प्र. सरकार के निर्णयानुसार शैक्षिक संस्थाओं को समाज के सभी वर्गों के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों के लिए 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही कुल देय फीस में 50 प्रतिशत छूट भी दिया जाना अनिवार्य होगा।
- उ.प्र. सरकार एवं भारत सरकार द्वारा लागू विधिक प्राविधान, अधिनियम एवं निर्देश आवंटनों पर प्रभावी होंगे।
- सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालयों/प्रचार अनुभाग मुख्यालय से विनियमावली सम्बन्धित पुस्तिका रु. 1000.00 का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। जिसके अनुसार नीलामी में भाग लिया जाना है।
- शैक्षिक भूखण्डों की श्रेणी का निर्धारण यू.पी. बोर्ड/सीबीओएसई बोर्ड एवं अन्य द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप की जायेगी।

- प्रिमियम भूखण्डों का उपयोग मूल पर व्यावसायिक प्रयोग होगा एवं बेसमेंट का प्रयोग गण्डारण एवं पार्किंग हेतु किया जायेगा। उक्त भूखण्डों का सब डिवीजन/विक्रय अनुमत्य नहीं होगा।। शेष नियम व शर्तों की जानकारी सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। प्रिमियम हाउसिंग के भूखण्डों का मूल स्वरूप आवासीय ही रहेगा। अतः भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2000 के अध्याय-3, भाग-5 के प्रस्तर 1, 5, 1 के अनुसार प्रशुनगत भूखण्डों हेतु अनुमत्य भू-आच्छादन एफएआर व अनुमत्य इकाई भवन का निर्माण विकास उपविधि 2000 के अनुसार रहेगा।
- A- ► समस्त सम्पत्तियों की नीलामी शासनादेश/परिषद आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- B- ► सम्पत्तियों की विस्तृत जानकारी तथा नीलामी में भाग लेने विषयक सील्ड बिड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रु. 100/- जमा कर सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
- C- ► सम्पत्ति सम्बन्धी विस्तृत जानकारी सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
- D- ► आवासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के कुल मूल्य का 5 प्रतिशत एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों में सम्पत्ति के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो "उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय हो के साथ निर्धारित प्रारूप पर (आवेदन पत्र दिनांक तथा सील्ड बिड नीलामी से एक दिन पूर्व) कार्यालय कार्य दिवस में सायं 5:00 बजे तक जमा करना होगा। नीलामी तिथि जे तक टोकन निर्गत किये जायेंगे।। तदोपरान्त प्रातः 11:00 बजे से नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
- E- ► आरक्षित भूखण्डों के विरुद्ध फर्म/पंजीकृत सोसाइटी पर कोई आरक्षण अनुमत्य नहीं है तथा पावर आफ एटार्नी एवं अधिकृत पत्र के आधार पर बोली लगाना अनुमत्य न होगा।
- F- ► प्रदेशन के सम्बन्ध में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
- G- ► सम्पत्ति आवंटन/नीलामी सम्बन्धी नियम शर्तों एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट: <http://www.upavp.com> से प्राप्त की जा सकती है।